गुलाबपुरा -I

2016/00006
106480000062

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

-: सरवरक :-

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8]

1 नाम अदालत — उपखण्ड अधिकारी(SDO) गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा — वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्व

3 अनवान मुकदमा — गोपालाल पिता मोतरमल प्रजापत निवासी गुलाबपुरा बनाम मोहम्मद इकराम पिता मोह0 याकार निवासी गुलाबपुरा

4 नम्बर व सन् मुकदमा — 1684 /2016

5 तारीख दायरा — 8/7/2016

6 तारीख फैसला — 27/6/2017

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला

9 किस्म मिसल या हिस्सा

10 किस्म रेकार्ड

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया

14 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया

श्री भानुप्रताप देवाना

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम-36)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0), गुलाबपुरा जिला भीलवाडा

गोपाल लाल पिता पोखरमल प्रजापति नि-गुलाबपुरा बनाम मोहम्मद इकराम पिता मोहम्मद जाकीर नि-गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा-वादपत्र अन्तर्गत धारा-53 प्रकरण संख्या-1684/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2017	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने कथन किया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का हैं। आराजी मुतदाविया में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या-01 से 07 का 1/2 हिस्सा निहित होकर पक्षकार अपने-अपने हिस्से अनुसार आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण अपने हिस्से का राजस्व रेकार्ड में अलग से हिस्सा दर्ज कराकर अपने हिस्से पर कृषि भूमि को विकसित करने एवं नये चाह का निर्माण करने व ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिये हिस्सा विभाजन कराना चाहते हैं। वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादीगण इस संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजियात को बैचान करने पर आमादा हैं। अन्त में कथन किया कि दावा वादी प्राथमिक डिक्री फरमाया जावें। वकील प्रतिवादी ने भी हक हिस्से के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया हैं। मैने वकील उभयपक्ष को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं। वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 मौजा गुलाबपुरा प्रथम तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर-251/1967 रकबा 06 बीघा भूमि मोहम्मद ईकराम, मोहम्मद सदीक पिता मोहम्मद जाकिर सायरा बेवा जाकिर मोहम्मद मुसलमान, गोपाललाल, गोविन्दप्रसाद पिता पोखरमल प्रजापति सा0 देह खातेदार, काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। यहां वादीगण का कथन है कि आराजियात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से भूमि की कमीबेशी को लेकर विवाद होता रहता हैं तथा वादीगण अपने हक हिस्से की आराजियात पर नवीन चाह निर्माण करने तथा ऋण इत्यादि लेने के कारण विभाजन करवाना चाहता हैं। वकील प्रतिवादी को भी भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर करने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य हैं।	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम-20)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट हुरड़ा

गोपाल लाल पिता पोखरमल प्रजापति निवासी गुलाबपुरा बनाम मोहम्मद इकराम पिता मोहम्मद जाति मुसलमान वगैरह निवासीयान गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 1684/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
27.06.2017	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरड़ा मे पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील प्रतिवादी अनुपस्थित । न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरड़ा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र कमांक राजस्व/2016/दिनांक 24.06.2017 से प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।	

1– मोहम्मद इकराम , मोहम्मद सदीक पिता मोहम्मद जाकिर , सायरा बेवा मोहम्मद जाकिर मुसलमान साकिन देह :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा प्रथम	251/1967	03 बीघा	0.90
किता 1		03 बीघा	0.90

2– गोपाल लाल, गोविन्द प्रसाद पिता पोखरमल प्रजापति साकिन देह –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा प्रथम	5158/251	03 बीघा	0.90
किता 1		03 बीघा	0.90

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 27.06.2017 को खुली लोक अदालत मे सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner